भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 662
8/02/2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

राष्ट्रीय समुद्री अपशिष्ट नीति बनाया जाना

662. डा. धर्मस्थल वीरेंद्र हेग्गडे:

क्या **पृथ्वी विज्ञान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की राष्ट्रीय समुद्री अपशिष्ट नीति बनाने की योजना है यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार ने विभिन्न समुद्र- तटों में जलीय जैव-विविधता को खतरे में डालने वाले समुद्री अपशिष्ट के गुणात्मक विश्लेषण के संबंध में कोई अध्ययन कराया है और यदि हाँ,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट सहित प्लास्टिक अपशिष्ट को इधर-उधर फेंकने से रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) तटीय राज्यों के तटों पर किस-किस प्रकार का अपशिष्ट पाया जाता है; और
(ङ) सरकार द्वारा विगत पांच वर्षों में तटीय राज्यों की पारिस्थितिकी पर समुद्री अपशिष्ट के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

उत्तर
पृथ्वी विज्ञान मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) वर्तमान में भारत में कोई राष्ट्रीय समुद्री अपशिष्ट नीति नहीं है। हालाँकि, राष्ट्रीय समुद्री अपशिष्ट नीति तैयार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं –

(i) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अपने संबद्ध कार्यालय, राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र के माध्यम से भारतीय तटों और निकटवर्ती समुद्रों के समानांतर समुद्री अपशिष्ट के कालिक और स्थानिक वितरण की निगरानी करने तथा समुद्री अपशिष्ट के वितरण का मानचित्रण करने के लिए अनेक अध्ययन शुरू किए गए हैं।

(ii) इसके अलावा, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 और इसके संशोधनों को अधिसूचित किया है, जो देश में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए सांविधिक ढांचा प्रदान करते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी को सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों को "प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशानिर्देश" और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियमावली, 2022 के संबंध में राजपत्र अधिसूचना भी जारी की । इसके अलावा, भारत सरकार ने स्वच्छ और सतत पर्यावरण विकसित करने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान", राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और स्मार्ट सिटीज मिशन" जैसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं जो समुद्री अपशिष्ट नीति में योगदान करते हैं।

(iii) राष्ट्रीय समुद्री अपशिष्ट नीति तैयार करने के लिए रोडमैप तैयार करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के वैज्ञानिकों, विभिन्न हितधारकों और नीति निर्माताओं, औद्योगिक और शैक्षणिक विशेषज्ञों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला आयोजित की गई ।

(ख) जी हाँ। 190 समुद्र तटों का अखिल भारतीय तटीय सफाई कार्यक्रम (2017-2023), समुद्र तट अपशिष्ट डेटा संग्रह और निरुपण किया गया है। इसके अलावा, भारत में चयनित समुद्र तटों पर समुद्री अपशिष्ट और माइक्रोप्लास्टिक वितरण पर विभिन्न समुद्र तट गतिविधियों के प्रभाव का अध्ययन किया गया।

(ग) समुद्री अपशिष्ट (विशेष रूप से प्लास्टिक) के प्रवाह को रोकने और जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, अखिल भारतीय तटीय सफाई और जागरूकता कार्यक्रम (2017-2023), जिसका आयोजन राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया है, के तहत 190 समुद्र तट सफाई कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 150 टन समुद्र तट अपशिष्ट को हटाया गया । इसके अलावा, मंत्रालय ने 12 अगस्त 2021 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया, जिसमें 1 जुलाई 2022 से कम उपयोगिता और उच्च अपशिष्ट फैलाने की क्षमता वाली चिन्हित की गई एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 16 फरवरी, 2022 को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियमावली, 2022 के माध्यम से प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशानिर्देशों को भी अधिसूचित किया गया है। ये दिशानिर्देश विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी, प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण, अनम्य प्लास्टिक पैकेजिंग के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रित प्लास्टिक सामग्री के उपयोग पर अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करते हैं। इन दिशानिर्देशों में सतत प्लास्टिक पैकेजिंग की ओर बढ़ने तथा प्लास्टिक फुट प्रिंट को कम करने का प्रावधान है। प्लास्टिक पैकेजिंग पर विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी के साथ पहचानी गई एकल उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध के कार्यान्वयन से अपशिष्ट और अप्रबंधित प्लास्टिक अपशिष्ट के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

(घ) तटीय राज्यों के समुद्रतटों पर पाए जाने वाले अपशिष्ट की विभिन्न श्रेणियां इस क्रम में हैं:- (i) प्लास्टिक (ii) कांच की बोतलें (iii) रबर के जूते (iv) कपड़े (v) कागज और (vi) धातु।

(ङ) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं

(i) मत्स्यन और बायोटा पर विभिन्न प्रकार के पॉलिमर (माइक्रोप्लास्टिक्स) के प्रभाव को समझने हेतु, प्रदूषण के स्तर का अनुमान लगाने के लिए अनुसंधान किया गया है।

(ii) नियमित अंतराल पर, वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं, और समुद्री पर्यावरण पर प्लास्टिक/समुद्री अपशिष्ट के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रदूषण के स्तर का प्रसारण किया जाता है।

(iii) प्लास्टिक के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चिन्हित एकल-उपयोग प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध अधिसूचित किया गया है।

*****